

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्र. एफ 1386/8-5/2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक 04/नवम्बर/2020  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाधीश,  
मध्यप्रदेश।

विषय:- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण पश्चात एरियर्स का भुगतान।

- संदर्भ:- (1) पत्र क्रमांक एफ 8-1/2016/नियम/चार, भोपाल, दि. 22-07-2017  
(2) पत्र क्रमांक एफ 8-1/2017/नियम/चार, भोपाल, दि. 24-04-2018  
(3) पत्र क्र. एफ 8-1/2018/ नियम/चार, भोपाल, दि. 15 मई 2020  
(4) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक 7/वि.स.उप.चु./2020/अनुमति 8671 भोपाल दिनांक 2.11.2020

\*\*\*\*\*

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत हुए वेतन पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप देय बकाया राशि का नगद भुगतान आदेश क्रमांक पत्र क्रमांक एफ 8-1/2016/नियम/चार, भोपाल, दि. 22-07-2017 के संदर्भित पैरा 16 अनुसार तीन समान वार्षिक किशतों में करने के निर्णय अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय किशत का भुगतान क्रमशः दिनांक 01 मई 2018 एवं दिनांक 01 मई 2019 में किया जा चुका है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 24-4-2018 के अनुसार एरियर्स का भुगतान निम्नानुसार किया जाना है:-

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी	50% नगद भुगतान 50% प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि/ विभागीय भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी।	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी	प्रथम एवं द्वितीय किशत की देय राशि सामान्य भविष्य निधि में जमा की जायेगी।
-------------------------	--	--------------------------	---

2. कोविड 19 की आपदा के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी होने से दिनांक 1 मई 2020 को देय तृतीय तथा अंतिम किश्त के भुगतान को आदेश दिनांक 15 मई 2020 से स्थगित करने का निर्णय लिया गया था।
3. प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय व अंतिम किश्त की राशि के 25 प्रतिशत राशि नियमानुसार कटोत्रे पश्चात नगद भुगतान माह नवम्बर में किया जाये।
4. राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाता सदस्यों को देय राशि का अंशदाता तथा शासन के नियमानुसार अंशदान उपरान्त देय राशि का नकद भुगतान किया जाए।
5. तृतीय एवं अंतिम किश्त की शेष देय राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय पृथक से लिया जायेगा।
6. कृपया उपर्यक्त अनुसार सभी अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अवगत करावें।

म.प्र.के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(अखिल कुमार वर्मा)


उप सचिव

म0प्र0शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र.एफ 1387/8-5//2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक 04/नवम्बर/2020  
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में।

7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
  8. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
  9. आयुक्त कोष एवं लेखा म0प्र0 भोपाल कृपया सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें ।
  10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
  11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
  12. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
  13. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
  14. सदस्य सचिव, कर्मचारी आयोग, 31 गोमन्तिका परिसर जवाहर चौक भोपाल
  15. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
  16. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/जिला पेंशन अधिकारी म.प्र.
  17. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के अधिकारी (स्थायी सूची अनुसार)
  18. सहायक संचालक/प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय भोपाल।
  19. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

  
(विवेक कुमार धारू)

अवर सचिव

म0प्र0शासन, वित्त विभाग